

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्रावि/परिषद सम्बद्धता/2019/1125

लखनऊ दिनांक 15-5-2019

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अधिसूचित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मस-3 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संघटित करने वाली नई संस्था का प्रकल्प रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महम विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया -

एअरआईएनसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित कारनिशिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीएससीआईओ अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही की जाएगी।

अतः निम्नानुसार संघटित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा किये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता प्रदान हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एअरआईएनसीआईओ/पीएससीआईओ द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	3201	डिप्लोमा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 808, बसमंडापुर, मिर्जा-सचिड़ी, लखनऊ नगर	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एअरआईएनसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एअर 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली संस्था तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आवेदनों का अनुपालन करेगी तथा शूलक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शूलक तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹20,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹20,45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक लवक दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹2-22,300.00 प्रतिवर्ष शूलक ही अवैक धारा/धारा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त धारा/धाराओं से शूलक के सम्बन्ध में समय-समय पर सासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले सासनपत्रों प्रभावी होने और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शूलक निर्धारण

समिति द्वारा यदि सन 2019-20 हेतु कोस का पुनर्विचार किया जाता है, तो कोस की नवीनताएं दो हारा होगी।

- ✓ संस्था को (2020) प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध शिक्षा (अन्य) विनियमावली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विस्तार या जाने की स्थिति में अलग प्रवेश शासन को निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समग्र-समग्र पर निर्भर शासनादेश से अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता सुलभ बना करना होगा।
- ✓ संस्था को एकाईसीटीआई से आगामी सन हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था अलग प्रवेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, 2020, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2020 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों-निर्देशों का पालन करने के लिये बध्य होगी।
- ✓ विनियमा हेतु कार्यवाही परामर्शक की सम्बद्ध यदि फेस/आर्ज, गैर दिस्ती से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ नहीं है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और शिक्षक का तो किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था बध्य उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशकाल एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग अलग प्रवेश शासन को कोई भी कार्यवाही किया जाता है तथा प्रवेश प्राप्त के संस्था में या ग्राह्यजन द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करना होगी।
- ✓ विनियमा हेतु कार्यवाही परामर्शक संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, अलग प्रवेश उत्तरदायक द्वारा प्रवेश पत्र के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग करने होने के पूर्व फेस/आर्ज से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद आचार्यता को उत्तरदायक करना होगा संस्था उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीमे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ अलग प्रवेश शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनताएं आचार्य नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक दृष्टिकोण, स्टाफ, साज-सामान, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला सुलभ, आचार्यता सुलभ आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-अभियान हेतु परामुक्त आचार्यता उपलब्ध करने के साथ रेगिं संचालन के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक आवश्यक सुनिश्चिता करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चिता हो ले कि संस्था में प्रशासित/संचालित परामर्शक की पालनी करने हेतु निर्धारण समिति के समक्ष उपलब्ध करने गये अधिलेख, भूमि-पत्र, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य परामर्शक को संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का पालन किये जाने की स्थिति में निर्देशानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

सूच्य- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2019/1120-2282

तद दिनांक 18-8-2019

प्राथमिक-प्रधानाचार्य/निदेशक, सिग्ना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 408, परमेशपुर, निहर-सड़की, बान्ना, काठपुर नगर


(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथि/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 18-8-2020

-कार्यालय द्वाप-

अंकित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मली कार्यालय ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राथमिक शिक्षा परिषद, 8020 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा परिषद, 8020 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश अंशता इच्छि सहित अन्य तथों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को तय-3 में डिप्लोमा इन फार्मली पाठ्यक्रम संघालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महत्व विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

- निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मली पाठ्यक्रम संघालित करने वाली संस्थाएं जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, 8020 लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठनी0आई0 द्वारा उन्हें कक्षावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठनी0आई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम को सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठनी0आई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 80 20 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु सिम्नाकित सार्ति के अधीन पाठ्यक्रम एवं उक्तमें अंकित प्रवेश अंशता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठनी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीठनी0आई0 /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	3381	विद्या कॉलेज ऑफ फार्मली गज कर्नालनापुर, विहार-बांसेही, बाला कानपुर नगर।	डिप्लोमा इन फार्मली	60	60

सम्बद्धता हेतु सार्ति

- ✓ संस्था एमआइएनसीटीआई0 / पीठनी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सार्ति का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा विनियमवली 1962 संशोधित विनियमवली-2018 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु ₹2,100.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मली पाठ्यक्रम हेतु ₹2-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय माध्यमिक (दो वर्षीय फार्मली पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹2-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से द्राप किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समत-समय पर सारत द्वारा निर्गत किये जाने वाले सारतानदेशे उपायी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया

(Handwritten Signature)

जाया जाकर एक होना। पीठ निर्वाचन समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु पीठ का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीठ की संरचनाएं रहे जायेंगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध शिक्षा उद्योग) विनियमनवली-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित प्रवेश की ही प्रवेश किया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उच्चतर प्रवेश आयोग के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को समस्त-समस्त पर निर्गत छात्रनादेशों को अनुसूचित विदेशों एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एडमिशन/सीट/सीट/सीट/सीट से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उच्चतर प्रवेश आयोग द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उद्योग, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उद्योग तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उद्योग द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने को विवेक बल्य होगी।
- ✓ किराया इन कार्यों पर आवश्यक की संख्याएं यदि वे सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उच्चतर प्रवेश आयोग को कोई तरह का भ्रम किंचित जाता है तथा साथ ही संबंध में यह आश्वासन द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ किराया इन कार्यों पर आवश्यक संबंधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्चतर प्रवेश आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष से लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु उत्तरदायित्व प्राप्त होने के पूर्व पंजीकृत/आई. से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद आयोगों को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हीं प्रवेश की (कार्यवाहियों को सम्बन्ध से संस्था संस्था सत्र पर सीटें प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उच्चतर प्रवेश आयोग द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत लक्ष्य/उत्तरदायित्व निर्धारों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पुस्तकालय, स्टॉक, साज-सज्जा, व्यवस्था, प्रवेश किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-अभियान हेतु उपयुक्त साधन/साधन उपलब्ध करने को संबंध विधि रोकने को संस्था में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संबंधित व्यवस्था की प्रस्तावित जाने हेतु निर्दिष्ट समिति को संस्था उच्चतर उच्चतर गरीब समितियों, बुनियादी-व्यवस्था, कार्यवाही, व्यवस्था इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य व्यवस्था के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उच्चतर का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो समस्त संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुसूचित/सम्बद्धता कार्यवाही की जाएगी।

(डा० आर.के. सिंह)
सचिव

सूचना- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1872-3141

तद् दिनांक 18-08-2020

पता-सिद्धि-आयुर्वेद/निदेशक, सिद्धि कॉलेज ऑफ फार्मसी, 406 धर्मनगरपुर, गिहार-बाँहरी, धाना कानपुर नगर।

(डा० आर.के. सिंह)
सचिव

For Sigma College of Pharmacy

सिद्धि

क़ायीतक़.

सचिव, प्रविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ.

संख्या:- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

क़ायीतक़ ताल:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्मसी काउन्सिल ऑफ इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा शिक्षक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यसूच्य में सम्बद्धता समिति की बैठक संभल हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मटी पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3361-SIGNA COLLEGE OF PHARMACY, 408, DHARMANGATPUR, NEAR-SANCHEDI, THANA KANPUR NAGAR.

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, रीमेन्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निमित्त नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जावेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार

कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। वीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सब 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (3080 प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आइ0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 से आयोजी सब हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 3080, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3080 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 3080 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल होती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई नोट टाइट किया जाता है तथा टाइट के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आवेदन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण/प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेजिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवकाश, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुरोधों की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0पी0सी0आई0 परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार

अनुशासनात्मक कार्यवाही की आयोगी।

(मुनीम कुमार सौनकर)

सचिव

पृष्ठसं०- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक SIGMA COLLEGE OF PHARMACY, 408, DHARMANGATPUR, NEAR-
SANCHEDI, THANA KANPUR NAGAR.



(मुनीम कुमार सौनकर)

सचिव

For Sigma College of Pharmacy


Principal